<u>स्पष्टीकरण-2</u>

<u>संख्या-2/वे0आ0-2-880/दस-62(एम)/2008</u>

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

विषय-वेतन समिति-(2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति-(2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियो के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3282/दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-861/ दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा करते हुए कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-879/ दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 निर्गत किया गया । उक्त शासनादेशों की गयी व्यवस्था में ऐसे कार्मिक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहें हैं, उनमें से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-13500 से निम्न वेतनमान) को मिल चुके लाभ को समायोजित करते हुए ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर-3 में इंगित है, परन्तु ग्रेड

http://sansadesh.up.nic.in

वेतन रू0 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के पदों के पदधारकों के लिये स्पष्ट व्यवस्था /प्रावधानों का उल्लेख न होने के कारण स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा इनके लिये ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा इसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की जा रही है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना है ।

2- उक्त संदर्भ में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये समयमान वेतनमान की सामान्य अथवा कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू रही हो, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है-

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है, (चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा एक या एक से अधिक पदोन्नतियॉ प्राप्त कर उक्त धारित पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त करने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नत होकर तैनात हो), को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुए शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर-1 की यथासंशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्न्यन के लाभ अनुमन्य होगें।

(ख) ऐसे पदधारक, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत धारित पद से उच्च वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें निम्नानुसार ए0सी0पी0 के लाभ देय होगें--

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08/10 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06/04 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वास्तविक रूप से धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिसे पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था ।

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/16 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर पद रहते उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिसे पद के संदर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था ।

(ग) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियॉ प्राप्त होने के पश्चात किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नही है। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक, जिनहें

http://shasanadesh.up.nic.in

समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नहीं होगा ।

3- किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा--

"संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयन ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा । उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि क़पया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर-1(6) एवं स्पष्टीकरण शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर 2013 की तालिका के बिन्दु-2 की व्यवस्था को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए सम्बन्धित कार्मिक को समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति दी जाय और यदि पूर्व में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके निराकरण की कार्यवाही तदद्नुसार सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

http://shasanadesh.up.nic.in

(अजय अग्रवाल)
सचिव ।

संख्या-वे0आ0-2-861(1)/दस-62(एम)/2008 तद दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2) माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव /सचिव ।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त/ उप शिक्षा निदेशक / समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।

(10) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

(12) निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें /अरबी मदरसे, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(13) समस्त सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।

(14) उ0 प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।

(15) कुल सचिव किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ।

(16) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज,इलाहाबाद।

(17) प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ।

(18) कुल सचिव, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीटयूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(19) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(20)निदेशक,के0एन0 इंस्टीटयूट आफ साईस टेक्नालोजी, सुल्तानपुर ।

(21)निदेशक, इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, लखनऊ ।

(22) निदेशक,एच0बी0टी0आई0, कानपुर ।

(23) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहु धन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

(24) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर ।

(25) प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ।

(26) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा।

(27) प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद।

(28) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय सकलडीहा, वाराणसी।

(29) व्यवस्थापक,सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

(30) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(31) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर।

(32) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

(33) निदेशक एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर डाले जाने हेतु ।

(34) गार्डबुक।

आज्ञा से

(मनोज कुमार जोशी)

संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in